

17.3.26

श्रीमान्.

विष्णुलाल व्यास

दीपत्रायणी

मध्य प्रदेश

राज्यपाल के लिए

A

DNb 222

9/4/26

अपीलार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता-अपीलार्थी
अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रत्यर्थी उपस्थित।

अपीलार्थीगण को बार-बार आवाजें लगावाई
गई किंतु बावजूद आवाज अपीलार्थीगण या उनकी ओर
से कोई हाजिर नहीं आया है। अपीलार्थीगण गत
पक्ष पर भी हाजिर नहीं आये थे।

अतः प्रकरण अदम हाजिरी - अदम फँसी में
खारिज किया जाता है। प्रकरण फँसल बुमार होकर बड़े
आवश्यक कार्यवाही पत्रायणी अभिलेखागार को प्रेषित
हो। विचारण न्यायालय को आदेश की प्रति मध्य प्रदेश
पत्रायणी नियमानुसार प्रेषित की जाये।

9/4/26

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरस्वती
बोम्बर तंफ (जयपुर)